फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

...राम के कायम मुकाम वगैरा बनाम कौशलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 42/19 /19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यरा जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.01.19	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण वकील को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा मेघवालों का बास पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में आई हुई है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी तरह की बाधा, दखलंदाजी करने व कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 25.02.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण विवादित आराजी मौजा मेघवालों का बास पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के मूल खेत खसरा नम्बर 473, 474, 475 रकबा क्रमशः 59.03, 00.03, 52.05 बीघा, मौजा बाण्डातालर पटवार मण्डल छीतर का पार के मूल खेत खसरा नम्बर 282, 284 रकबा 00.08, 208.18 बीघा व मौजा छीतर का पार के मूल खेत खसरा नम्बर 485 रकबा 03.11 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, दखलंदाजी कारित नहीं करें। न ही किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण करें। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 25.02.2019 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से मिसल [illegible] होकर आगामी दिनांक 16/04/19 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस
तामील उपरान्त अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन
अधिकारी के उपरान्त कार्यों में व्यस्त होने के मिसल
इजलास होकर आगामी दिनांक 18/06/19 को पेश हो।
तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत
रहेगा।

18/6/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इजलास होकर दिनांक 09/07/19 को
पेश हो।

9/7/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०।
विपक्षीगण के नोटिस तामील अदम तामील
अप्राप्त। प्रार्थी वकील विपक्षीगण के नोटिस
पुनः पेश करें। पेश होने पर जारी होकर
पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 26/8/19 को पेश
हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार
यथावत रहेगा।

सहायक कलेक्टर (SDO)

26/08/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद
फैसल हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई
औचित्य नहीं रहता है। अतः उक्त आवेदन
को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के
बाद दाखिल दफ्तर हो।

दि. 2019

सहायक कलेक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner